P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-VII March-2015
E: ISSN NO.: 2349-980X

अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक विवाह और मानवाधिकार

पूनम बजाज
व्याख्याता,
समाज"ाास्त्र विभाग,
चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सारांश

मानवाधिकार ऐसे अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र नागरिक अधिकारों की तुलना में अत्यंत विस्तृत है। देखा जाए तो सभ्य मनुष्य आपकी तर्कबुद्धि या अंतरात्मा को प्रेरणा से मनुष्य मात्र की वि"ोष गरिमा को मान्यता देते हैं और यही विचार मानव अधिकारों की अवधारणाओं का मूल स्त्रोत है। हमारी नैतिक चेतना और सामाजिक चेतना जितनी विकसित होती जाएगी मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता जाएगा जिस समाज में जितने ज्यादा मानव अधिकारों को नागरिक अधिकारों के रूप में स्थापित किया जाएगा वह समाज नैतिक दृष्टि से उतना ही उन्नत माना जाएगा। मानव अधिकारों का विचार नागरिकता की सीमाओं से नहीं बंधा है।

मुख्यशब्दः मानवाधिकार, ग्रिगेरियस इंसिक्ट, वर्ण–जाति, अन्तर्जातीय, अन्तर्धार्मिक, ऑनरकिलिंग, खाप पंचायत

परिचय

टॉमेन (1737–1809) ने प्राकतिक अधिकारों को 'मनुष्य के अधिकार' की संज्ञा दी। ये मनुष्य प्रकृति में ही निहित हैं ना कि किसी रीति–रिवाज, कानून, राज्य या संस्था की देन।

टामस हाब्स (1588–1679) ने तर्क दिया कि प्राकृतिक द"ाा में मनुष्य को असीम स्वतंत्रता प्राप्त थी, परन्तु जब उन्होंने नागरिक समाज का निर्माण किया, तब उन्होंने अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग कर दिया। प्राकृतिक अधिकारों के विचार को तर्कसंगत रूप में ढालने का श्रेय जॉन लाक (1632–1704) को है। इन्होंने जीवन स्वतंत्रता और सम्पति के अधिकार को प्रमुखता दी।

मानव अधिकारों में जिस सबसे महत्वपूण अधिकार की बात की गई है वह 'जीवन का अधिकार' अर्थात् किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी या उसके प्राणों का हरण नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं उसके स्वास्थ्य और उसके प्राणों की रक्षा की जाएगी। जीवन का अधिकार मनुष्य का सर्वप्रथम प्राकृतिक अधिकार है। जीवन को सही ढंग से बिताने के लिए मनुष्य साथ ही तला"ा करता है और अपनी मूलभूत प्रवृत्ति 'ग्रिगेरियस इंसिक्ट' के कारण समूह बनाता है और सबसे छोटे समूह के रूप में दो लोगों के साथ ही मान्यता दी जाती है। मनुष्य विवाह करके अपने साथी के साथ एक स्थाई समूह का निर्माण करना चाहता है। जीवन साथी के चयन के समय उसके स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का हनन किया जाता है जबवह अपनी जाति या धर्म से बाहर से साथी को चुनना है।

हम सभी जानते है कि अपनी जाति से बाहर के व्यक्ति को विवाह संगी चुनने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु वि"ोष विवाह अधिनियम, 1872 में ही पारित कर दिया गया था जबकि आज तक जाति समूहों का अनन्य रूप विवाह में कायम है।

जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी भी चीज के प्रकार या स्पी"ाीज को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें अचेतन वस्तुओं से लेकर पेड़–पौधों, जीव–जन्तु और मनुष्य भी शामिल होते हैं। 'वर्ण' और 'जाति' के संबंध की सटीक व्याख्या विद्वानों के बीच भी बहस का विषय रहा है।

सामान्यतः यह माना जाता है कि चार वर्णों का वर्गीकरण लगभग 3 हजार साल पुराना है हालांकि विभिन्न समय कालों में जाति व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप रहे है। इसलिए यह मान लेना कि एक समान व्यवस्था तीन हजार वर्षों से चली आ रही है अपने आपको भ्रमित करना होगा। अपने प्रारंभिक काल, वैदिक काल–900 ई.पू. से 500 ई.पू. के बीच जाति व्यवस्था वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही थी लकिन उत्तर वैदिक काल में जाति एक कठोर संस्था बनी।

पवित्रता शुचिता की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल हुए। ये समूह संजातीय होते हैं अर्थात् विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकते है। विवाह पुरूष और स्त्री के बीच वैध यौन संबंध से ही कही अधिक है। यह दो परिवारों के बीच अनुबंध स्थापित करने का माध्यम है। जब से षिक्षा और रोजगार, लड़कों के बराबर ही लड़कियों के लिए उपयोगी समझा जाने लगा लड़कियां खुद जीवन साथ के चयन में आगे आने लगी है।

प्राचीन समय में विवाह परिवार और समुदाय के प्रति एक सामाजिक कर्तव्य माना गया। इसलिए इसमें व्यक्ति का हित माना जाता था लेकिन समय बदला अनेकानेक कारणों से जिनमें ि"ाक्षा प्रमुख है। इसे नहीं भूलना चाहिए। विवाह के प्रति युवाओं की खुलेदिमाग से विचारों का ग्रहणता एवं जाति सीमाओं की बाधाओं को तोड़ने की सोच की ि"ाक्षा के प्रसार एवं दूर–दराज प्राप्त होने वाले रोजगार ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। अन्तर्जातीय विवाह की संख्या बढ़ने के साथ–साथ ऑनर किलिंग की घटनायें तेजी से सामने आने लगी है जो कि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करती प्रतीत होती है।

भारतीय समाज जहां वि"व परिदृश्य पर तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है वहीं विवाह जैसी संस्था संक्रमण से गुजर रही है। आज प्रत्येक क्षेत्र में निरन्तर परिवर्तन दिखाई दे रहा है लेकिन एक संस्था अभी भी ऐसी है जो इस परिवर्तन का विरोध करती है और वह है विवाह। यदि रविवारिय वैवाहिक विज्ञापनों पर दृष्टि डालें तो जाति तेजी से प्रकट होती दिखाई देती है। वि"ोषज्ञ मानते है कि अन्तर्राज्यीय विवाहो के सामने कई रूकावटें है। यह प्र"न रक्षा, बचाव और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

समाज में तेजी से उभरती हुई खाप पंचायतें इसे धार्मिक और सामाजिक अपराध का नाम देती हुई सम्मान क नाम पर हत्याएं करवाती है। जब दो युवा इन तमाम बंधनों को छोड़कर साथ में जीवन बिताने का फैसला लेते हैं तो उन्हें नये वातावरण, संस्कृति और रीति–रिवाजों की समस्या से जूझना पड़ता है। लकिन आज सरकारें स्वयं इस दि"ाा मे प्रयासरत है। निम्न जाति में विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उदाहरण है। परन्तु समाज की सोच इससे कहीं आगे है। माता–पिता को मनाने की असमर्थता और दो परिवारों में आपसी सौहार्द और समझ का अभाव दिल्ली की पत्रकार निरूपमा पाठक के केस में दिखाई देता है जो कि झारखण्ड स्थित अपने पिता के घरमें मृत पाई गई। यह परिवार द्वारा सम्मान के नाम पर की गई हत्या थी क्योंकि वह किसी अन्य जाति के लड़के से विवाह करनाचाहती थी। ऐसी कितनी लड़कियां है जिनके नाम हमें पता ही नहीं चलते। लड़कियों और महिलाओं को असमानता की सीढ़ी में जातिगत भेदभावों में सबसे नीचे धकेल दिया जाता है और वे अपनी 'सहने की शक्ति' के कारण सबसे अधिक घटनाओं का ि"ाकार बनती है।

यदि हमें नैतिक दृष्टि से समाज को उन्नत करना है तो जोने के अधिकार जैस मूल मानवाधिकार को पूर्णता से स्थापित करना होगा। अन्तर्जातीय और अन्तर्धार्मिक विवाह तभी संभव है जब हमारा दिमाग इसे खुलेपन से स्वीकार करे। इसका एक रास्ता महाराष्ट्र का छोटा–सा गांव 'करनजी' हमें दिखाता है। नागपुर से 200 किमी दूर गुलाबी रंग से रंगे घर की महिला सरपंच प्रभावली खोबरागेड़ें बताती हैं हमारे गांव में किसी प्रेम कहानी का अंत दुखदायी नहीं है। पिछले पांच वर्षा में 38 जोड़े विवाह करके खु"ाी से जीवन यापन कर रहे हैं यदि दो लोग अन्तर्जातीय विवाह करना चाहते हैं तो हम उनके माता–पिता को बुलाकर समझाते हैं हालांकि यह बहुत कठित होता है। जहां पहले हमारे गांव में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के पीने के पानी के अलग–अलग कुएं थे। वही अब ऐसे विवाहों को स्वीकार किया जाने लगा है। इस गांव में प्रत्येक विवाह को समारोहपूर्वक मनाया जाता है। पंचायत के सदस्य इसमें भागीदारी करते हैं और यदि नवयुगल को परिवार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो वे अपना अलग घर बनाकर इसी गांव में रहते हैं। यह परिवर्तन एक ही रात में घटित नहीं हुआ। इसके लिए बहुत प्रयास किये गये हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि विश्व बहुत विकसित हुआ है लेकिन प्रगति की गति अभी भी सुरंग के दूसरी ओर से आती हुई रो"ानी की किरण की तरह ही है। इन विवाहों का अस्तित्व अभी भी केवल मानवाधिकार के रूप में कानूनी जामा पहनाये जाने मात्र से ही संभव नहीं है अपितु जरूरत है प्रभावती खोबरागेड़े जसे प्रबल इच्छाशक्ति वाले व्यक्तित्वों की, तभी ऐसी विवाह रूपी संस्थाओं से सुदृढ़ व परिपक्व परिवारों का जन्म होगा जिसमें मानवाधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा के.एल.संपा 1999, सो"ाल इनइक्वालिटी इन इंडियाः प्रोफिट्स ऑफ कास्ट, क्लास एण्ड सो"ाल मोबिलिटी, द्वितीय संस्करण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
2. धुरिये जी.एस. 1969 कॉस्ट एण्ड रेस इन इंडिया, पांचवा संस्करण, पॉपुलर प्रका"ान मुंबई।
3. गाबा ओमप्रका"ा 1998 राजनीति विज्ञान वि"वकोष मयूर पेपर बॉक्स, नोएडा।
4. दी इंडियन एक्सप्रेस, अप्रल 15, 2010
5. दी इंडियन एक्सप्रेस, मई 2, 2010
6. टाइम्स ऑफ इंडिया, नवम्बर 4, 2007
7. ऐमिली, वा"िंगटन पोस्ट फोरन सर्विस, नवम्बर 22, 2008
8. कपाड़िया के.एम. मैरिज एण्ड फैमिली इन इडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली 1972